

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- रम्भाबाई

विपक्षी :- जगदीश

किस्म मुकदमा - विविध आ. 9 नि. 7 जा.दी.

पत्रावली संख्या : 09 / 18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 13.12.2019</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 210/17 अनवान रम्भाबाई बनाम जगदीश दिनांक 04.09.2017 को दर्ज होकर प्रथम पेशी दिनांक 06.10.17 नियत की गई। चूंकि वादी द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया एवं प्रथम पेशी पर ही वादी व उसके अधिवक्ता दोनो अनुपस्थित रहे हैं। जिस कारण दिनांक 06.10.17 को वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया। उसके पश्चात् वादी द्वारा दिनांक 06.11.17 को बाज दायरी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जो जांच के दौरान दस्तावेज के अभाव में प्रार्थी द्वारा बाद पूर्ति कर देने से दिनांक 09.02.18 को दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि प्रकरण में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रथम पेशी पर ही अनुपस्थित रहा है जो कि वादी की लापरवाही का द्योतक है। प्रकरण में वादीयां का हित निहित होने से वादीयां द्वारा समयावधि में प्रार्थना पत्र बाद दायरी का प्रस्तुत कर दिया है। जिससे प्रकरण में प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थीयां द्वारा दावा पेश करने के बाद जानबुझकर अनुपस्थित रहना और न्यायालय का बहुमुल्य समय जाया करना इसके लिए प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायहित में प्रकरण स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का 5,000/- अक्षरे पांच हजार रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 210/17 अनवान रम्भाबाई बनाम जगदीश में आदेश दिनांक 06.10.17 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थीयां द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करने पर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षय गोदारा I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

